

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 40

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

बीमा सखी योजना के तहत स्वीकृत और उपयोग की गई राशि

40. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्रीमती शांभवी:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री राजेश वर्मा:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जीवन बीमा कंपनी की बीमा सखी योजना (बीएसवाई) के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक वित्तीय परिव्यय, स्वीकृत, वितरित और उपयोग की गई राशि का ब्यौरा क्या है;
- (ख) जुलाई 2025 तक उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) बीमा सखियों के लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने हेतु उपलब्ध अवसरों का ब्यौरा क्या है और यह कार्यक्रम किस प्रकार बीमा सखियों को उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण चरण के बाद भी निरंतर सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करता है;
- (घ) उपर्युक्त योजना के न्यायसम्मत कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच बीएसवाई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) क्या सरकार उपर्युक्त योजना के क्षेत्र में विस्तार करने की योजना पर विचार कर रही है ताकि इसमें अतिरिक्त भूमिकाएँ शामिल करने या इसे अन्य महिला-केंद्रित सरकारी पहलों के साथ एकीकृत किया जा सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): एलआईसी की बीमा सखी- “महिला कैरियर एजेंट (एमसीए) योजना” का शुभारंभ दिनांक 9.12.2024 को किया गया था। इस प्रकार, योजना के संबंध में कोई भी खर्च एलआईसी द्वारा वहन किया जाता है। एलआईसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में बीमा सखियों को स्टाइपेंड के रूप में 62.36 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में एलआईसी ने योजना के लिए 520 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया, जिसमें से दिनांक 14.7.2025 तक 115.13 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(ख): वर्तमान में, देश में 2,05,896 बीमा सखियाँ हैं। बीमा सखियों के राज्य-वार आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग): एलआईसी बीमा सखियों को कई कार्यनिष्पादन-आधारित प्रोत्साहन के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। स्नातक बीमा सखियाँ, 5 साल पूरे होने के बाद, पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर एलआईसी के अपरेंटिस विकास अधिकारियों के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

उपर्युक्त के अलावा, एलआईसी बीमा सखियों को जीवन बीमा एजेंसी कैरियर का निर्माण करने में उनकी सहायता करने के लिए उनकी नियुक्ति के प्रथम तीन वर्षों के लिए स्टाइपेंड प्रदान करता है। स्टाइपेंड योजना उनके कमीशन भुगतान के अतिरिक्त और कुछ कार्यनिष्पादन मापदंडों के अध्यक्षीन है। स्टाइपेंड की राशि पहले वर्ष में 7000/- रुपये प्रति माह से लेकर तीसरे वर्ष में 5000/- रुपये तक होती है।

(घ) और (ड): बीमा सखी योजना जो कि एलआईसी की पहल है, को एलआईसी की विभिन्न शाखाओं और प्रभागों द्वारा देशभर में पारंपरिक एवं डिजिटल मीडिया और सार्वजनिक मंचों से बढ़ावा दिया जा रहा है।

दिनांक 21.7.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 40 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध*

बीमा सखियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या					
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमा सखियों की संख्या	क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बीमा सखियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	39	18	महाराष्ट्र	18086
2	आंध्र प्रदेश	20054	19	मणिपुर	124
3	अरुणाचल प्रदेश	47	20	मेघालय	63
4	असम	3018	21	मिजोरम	53
5	बिहार	10975	22	नागालैंड	40
6	चंडीगढ़	528	23	ओडिशा	9047
7	छत्तीसगढ़	4673	24	पांडिचेरी	272
8	दिल्ली	3251	25	पंजाब	3855
9	गोवा	506	26	राजस्थान	15243
10	गुजरात	6449	27	सिक्किम	50
11	हरियाणा	8495	28	तमिलनाडु	11836
12	हिमाचल प्रदेश	3037	29	तेलंगाना	10908
13	जम्मू और कश्मीर	2204	30	त्रिपुरा	409
14	झारखंड	3673	31	उत्तर प्रदेश	23152
15	कर्नाटक	14117	32	उत्तरांचल	2260
16	केरल	5481	33	पश्चिम बंगाल	12006
17	मध्य प्रदेश	11945		कुल	205896

*दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख और लक्षद्वीप में कोई बीमा सखी नहीं हैं।
